न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

नीलकंठ हजाम .... बनाम .... डुडू स्वासी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं0–एम 116 /2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी सं0–34/17 दिनांक–9/8/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि मौजा कुंदला खाता सं०-101 प्लोट सं०-980 रकबा 43 डी० के जमीन पर लगा अर्जुन का पेड़ काटने से उभय पक्ष में तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 11/09/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। (हस्ताक्षर) 24/8/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
11-09-17	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 06-10-17 को रखें। (हस्ताक्षर) 11/09/17	

पृष्ठ सं०—

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
23-04-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष ~~अनु~~ अनुपस्थित। उक्त वाद में 6(छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है। 23/4/18